

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES**

New Delhi, the 14th March, 2000

Notification
(Income-tax)

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 80L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the debentures, in the nature of bonds, namely:-

- (i) the Industrial Development Bank of India Regular Income Bond bearing distinctive numbers from 000001 to 2448263 of the face value of rupees five thousand each;
- (ii) the Industrial Development Bank of India Growing Interest Bond bearing distinctive numbers from 2500001 to 2923034 of the face value of rupees five thousand each;
- (iii) the Industrial Development Bank of India Retirement Bond bearing distinctive numbers from 3000001 to 3009257 of the face value of rupees five thousand each; and

issued from 27-7-99 to 19-8-99 by the Industrial Development Bank of India, Mumbai, a Corporation established under Section 3 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (10 of 1964) in its public issue of bonds in Flexibonds-7 series, for the purposes of the said clause.

Notification No. 11266


(MONA M. VERMA)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

(F.NO. 178/11/2000-ITA-D)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 11, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च, 2000

अधिसूचना
आयकर

का.आ. (अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ठ की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई, जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 10) के अन्तर्गत स्थापित एक निगम है, द्वारा फ्लैक्सी बोर्ड्स-7 सीरिज में बंधपत्रों के अपने सार्वजनिक निर्गम में 27.7.99 से 19.8.99 तक जारी किए गए बंधपत्रों की प्रकृति में निम्नलिखित ऋणपत्रों को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करता है :

- (i) प्रत्येक पांच हजार रु. के अंकित मूल्य के 000001 से 2448263 तक की विशिष्ट संख्याओं वाले भारतीय औद्योगिक बैंक नियमित आय बंधपत्र ;
- (ii) प्रत्येक पांच हजार रु. के अंकित मूल्य के 2500001 से 2923034 तक की विशिष्ट संख्याओं वाले भारतीय औद्योगिक बैंक ग्राइंग ब्याज बंधपत्र ;
- (iii) प्रत्येक 5 हजार रु. के अंकित मूल्य के 3000001 से 3009257 तक की विशिष्ट संख्याओं वाले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सेवा निवृत्ति बंधपत्र .

अधिसूचना सं. 11266


(मोना एम. वमा)

अवर सचिव, भारत सरकार
(फा.सं. 178/11/2000 आयकर नि.-1)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली.